न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 116/2015 **दायरा दिनांक : 05.10.2015**

उनवान

1— धूलीलाल आत्मज माधो लाल, जाति धाकड, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— मूलीलाल आत्मज माधो लाल, जाति धाकड, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— छोटी बाई बेवा घांसी लाल, जाति धाकड, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4— जगन्नाथी बाई पुत्री घांसी लाल पत्नी रामकल्याण, जाति धाकड, निवासी देवपुरा नयागांव, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— बादाम बाई पत्नी ज्ञानचन्द, जाति धाकड, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रमेश राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 750/दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट बादाम बाई ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम तारज, तहसील खानपुर में आराजी खाता संख्या नया 165 पुराना 163 खसरा नम्बर 275 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 278 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 491 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 493 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 889 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 890 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 1003 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, कुल 7 किता की 34 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है जो वादिनी और प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में स्थित है । शामलाती खाते में आराजी रहने से लगान एवं करताराज अदा करने में परेशानी आती है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादिनी का 1/2 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.07.2015 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पत्रावली तलबी एवं जवाबदावे में लम्बित थी परन्तु उसको लोक अदालत में रखा गया और बिना अपीलांटगण को सुनवायी का अवसर दिये दावा डिक्री किया है । इस आराजी पर कभी भी वादिनी का कब्जा नहीं रहा है । वादिनी ने फर्जी वसीयत बनाकर 1/2 हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली है

जबकि इस आराजी पर गणपत बाई और वादिनी का कभी कब्जा नहीं रहा है । रेकार्ड से वादिनी का नाम हटाया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली तलबी में लम्बित थी । बिना जवाबदावा लिये लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में कोई राजीनामा पेश नहीं हुआ था और न ही अपीलांट उपस्थित हुए थे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ नयायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो

इसके अभाव में सी पी सी की पालना में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ नयायालय में दिनांक 10.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा